न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 05/2021 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

प्रमोद पुत्र श्री भजनलाल निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी

उपस्थितः–1. श्री शिवराज सिंह वराड़ राजकीय अधि.।
2. अप्रार्थी गैर हाजिर।

निर्णय

दिनांकः–03.07.2024

राजस्थान राज्य जरिये विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.02.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, नोहर के साथ पेट्रोल डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरुद्ध अभियान के तहत रावतसर पल्लू रोड़ पर पल्लू टोल टैक्स केन्द्र के नजदीक उपस्थित हुए। टोल टैक्स केन्द्र के नजदीक स्थित दूध डेयरी के पास खड़ी पिकअप गाड़ी (बिना नम्बर की) की जांच की गई। जांच एवं तलाशी के दौरान पिकअप गाड़ी से डीजल उतारकर दुकान में रखा जा रहा था। पूछताछ के दौरान पिकअप मालिक मौके से फरार हो गया। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 300 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 6 खाली प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली प्लास्टिक कैनी, 10 लीटर का माप, 5 लीटर का माप एवं 1 डीजल निकालने वाला हस्तचालित पम्प एवं 1 डीजल विक्रय का हिसाब लिखी डायरी मिली। मौके पर पाया गया सामान डीजल के विक्रय, कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर पाये गये डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, कैनी, माप, हस्तचालित पम्प एवं डीजल विक्रय का हिसाब लिखी डायरी के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 300 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 6 खाली प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली प्लास्टिक कैनी, 10 लीटर का माप 5 लीटर का माप एवं 1 डीजल निकालने वाला हस्तचालित पम्प एवं 1 डीजल विक्रय का हिसाब लिखी डायरी को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री देवकीनंदन पुत्र श्री सत्यनारायण हाल सरपंच ग्राम पंचायत पल्लू तहसील रावतसर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री प्रमोद पुत्र श्री भजनलाल निवासी पल्लू तहसील रावतसर द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 300 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 6 खाली प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली प्लास्टिक कैनी, 10 लीटर का माप, 5 लीटर का माप एवं 1 डीजल निकालने वाला हस्तचालित पम्प एवं 1 डीजल विक्रय का हिसाब लिखी डायरी को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 24.02.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 24.02.2021 को नोटिस जारी होने के बाद दिनांक 23.03.2021 को प्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुआ व दिनांक

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

13.01.2022 को जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी व वकील अप्रार्थी लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ द्वारा आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत प्रार्थी का 300 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 6 खाली प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली प्लास्टिक कैनी एवं डीजल निकालने वाला हस्तचालित पंप जब्त किया हुआ है। प्रार्थी कृषक पेशा व्यक्ति है व इसके अलावा प्रार्थी अन्य कार्य भी करता है। प्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि मय ट्यूबैल है, इसके अलावा प्रार्थी दीगर व्यक्तियों की कृषि भूमि ठेका पर लेकर काश्त करता है, प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने, ट्रैक्टर, कार अन्य साधन उपयोग में लेता है, जिस हेतु डीजल की आवश्यकता रहती है व प्रार्थी स्वयं की व अन्य काश्तकारों की जमीन ठेका पर लेकर काश्त करता है व अन्य साधनों का संचालन करने के लिये भी प्रार्थी को डीजल की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में फसल सिंचाई का समय है तथा प्रार्थी द्वारा ट्रैक्टर व अन्य साधनों का संचालन भी प्रार्थी द्वारा निरंतर किया जा रहा है, जिसके लिये प्रार्थी को उक्त डीजल की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी का डीजल मय अन्य सामान प्रार्थी के पास न होने से प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। प्रार्थी से जब्त डीजल केवल मात्र 300 लीटर है जो कि प्रार्थी स्वयं अपने उपयोग व उपभोग हेतु ही लेकर आया था, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की गाईडलाईन के अनुसार भी 2500 लीटर तक डीजल परिवहन कर सकता है। प्रार्थी के पास केवल मात्र 300 लीटर डीजल ही था जो कि प्रार्थी स्वयं के उपयोग के लिये लेकर आया था। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के विपरित हो। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाब प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे व प्रार्थी से जब्तशुदा डीजल मय अन्य सामान प्रार्थी को लौटा दिये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि दुकान से जांच के समय प्रवर्तन अधिकारी हनुमागढ द्वारा 300 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 6 खाली प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली प्लास्टिक कैनी, 10 लीटर का माप, 5 लीटर का माप एवं 1 डीजल निकालने वाला हस्तचालित पम्प एवं 1 डीजल विक्रय का हिसाब लिखी डायरी के साथ जब्त किये गये हैं। दुकान/पिकअप में हस्तचालित पम्प एवं 1 डीजल विक्रय का हिसाब लिखी डायरी रखने का तथ्य सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त उपकरणों से दुकान में पेट्रोल व डीजल के विक्रय, कारोबार का निरन्तर कार्य किया गया है। उक्त कार्य राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सामान राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अप्रार्थी की पिकअप व दुकान की तलाशी/जांच के समय प्रवर्तन अधिकारी हनुमागढ द्वारा 300 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 6 खाली प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली प्लास्टिक कैनी, 10 लीटर का माप, 5 लीटर का माप एवं 1 डीजल निकालने वाला हस्तचालित पम्प एवं 1 डीजल विक्रय का हिसाब लिखी डायरी के साथ जब्त किये गये हैं। वाणिज्यिक परिसर में उपकरण व वजन माप रखने का तथ्य सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त उपकरणों से दुकान में पेट्रोल व डीजल के विक्रय, कारोबार का निरन्तर कार्य किया गया है। इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण जब्ती कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में जब्तशुदा डीजल का कृषि भूमि काश्त करने व ट्रैक्टर, कार आदि साधन में उपयोग करने का उल्लेख किया है परन्तु जवाब प्रस्तुत करते समय भूमि संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु इतने डीजल का परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (रटेट) का स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा 300 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 6 खाली प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली प्लास्टिक कैनी, 10 लीटर का माप, 5 लीटर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

का माप एवं 1 डीजल निकालने वाला हस्तचालित पम्प को न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 24.02.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

(काना राम, आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़